All India Union of Forest Working People (AIUFWP)

अखिल भारतीय वन–जन श्रमजीवी यूनियन

PROTECT LIVELIHOOD
PROTECT RESOURCES

Email : aiufwp@gmail.com

222, Vidhayak Awas, Aishbagh Road,
Rajendra Nagar, Lucknow
Mobile : 0522-2690343, 2691922

सेवा में,

दिनांक : 11 जुलाई 2020

श्रीमान मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड़ सरकार, देहरादून।

विषयः– राजाजी नेशनल पार्क में रह रहे मुस्तफा चोपड़ा के डेरे पर पुलिस व वनविभाग के हमले के सन्दर्भ में सरकार द्वारा गठित जांच समिति के सम्बन्ध में।

महादेय,

हमारा यूनियन गत कई दशकों से वनों में निवास करने वाले वनसमुदायों खासतौर पर घुमन्तु जनजाति वनगुज्जरों के साथ उनके संवैधानिक व वनाधिकारों की बहाली के सवाल पर कार्य कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय यूनियन द्वारा देश के अन्य राष्ट्रीय संगठनों व कई वामदलों के साथ मिल कर आज़ादी के छह दशकों के बाद वनाश्रित समुदायों के वनाधिकारों को मान्यता मिली व संसद द्वारा 2006 में '' वनाधिकार कानून 2006'' पारित किया गया। इस कानून की प्रस्तावना में संसद द्वारा यह स्वीकारा गया है कि वनाश्रित समुदायों के साथ उपनिवेशिक काल से ही उनकी पैतृक एवं निवास के स्थान पर उनको अधिकार नहीं मिले है और उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुए है इस लिए यह कानून समुदायो को वनाधिकारों की मान्यता देता है। गौर तलब है कि यह देश का पहला ऐसा कानून है जिसके तहत घुमन्तु समुदाय को भी एक पहचान मिली है व उनके अधिकारों को स्पष्ट तौर पर कानून की धारा 3(1)(घ) में लिखा है '' यायावरी या चारागाही समुदायों की मतस्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद चरागाह (स्थापित और घुमन्तु) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार''। घमन्तु समुदाय के बारे में हमारे देश के किसी अन्य कानून में जिक्र नहीं है। इसलिए वनाधिकार कानून घुमन्तु समुदाय के सार्वभौमिक अधिकारों का आधार है जिसे कायम करने के लिए बेहद संवेदनशील राजनैतिक इच्छा की जरूरत है। लेकिन यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान एवं संसद द्वारा उनके अधिकारों की मान्यता मिलने के बावजूद भी उनपर जानलेवा हमला हो रहा है और जबरन उन्हें वनों से बिना किसी वैक्लिपक व्यवस्था के बेदखली की जा रही है। यहीं नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 फरवरी 2019 के वाईल्ड लाइफ फर्स्ट एवं यूनियन आफ इंडिया आईए न0 35782/2019 में कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की बेदखली से रोक लगाई गई है। इस केस में हमारे यूनियन द्वारा भी इन्टरवेंशन एप्पलीकेशन न0 107284/2019 लगाई गई है जिसमें यूनियन की तरफ से आदिवासी समुदाय की महिलाए सोकालो गोंण और थारू आदिवासी निबादा राणा मुख्य वादी हैं।

गत दिनांक 16 व 17 जून 2020 को आसारोड़ी राजाजी नेशनल पार्क स्थित वन गुज्जर मुस्तफा चोपडा व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वन विभाग द्वारा पहले उनके डेरे पर जो मारपीट हुई वह एक उदाहरण है कि किस तरह से वनगुज्जरों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। मुस्तफा चोपड़ा द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई लेकिन थानेदार द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उल्टे 18 जून को मुस्तफा चोपड़ा और उनके दो नाबालिग पोते व उनके परिवार की चार महिलाओं को थाना–क्लेमेन्टाउन में लाया गया तथा यहां भी उनके साथ पुलिस द्वारा थाने में रात भर मारपीट की गई व चार महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उनके गुप्तांगों पर वार किया व अमानवीय व्यवहार किया गया। व अगले दिन उन्हें बिना मेडिकल जांच के जेल भेज दिया गया। कोर्ट में भी इन सभी की चोटों की अनेदखी की गई और यह मासूम लोग न्याय से वंचित हो गए। महिलाए तो इतनी सहमी हुई थी कि उनको कहां चोटें आई हैं वे किसी को नहीं बता पाई, उनके माध्यम से अपने रिश्तेदार महिलाओं को जब बताया तब हमारे यूनियन को इस की खबर हुई। पुलिस व न्यायलीन व्यवस्था द्वारा दो नाबालिगों को भी जेल भेज दिया गया जब कि कानून नाबालिगों के अधिकार पर स्पष्ट है कि उनको सुधार गृह में रखा जाए न कि जेल में। लेकिन न्यायलीन व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है बेगुनाह और मासूम यातना सहने को मजबूर हो रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को लिखा गया तदोपरान्त उक्त पीड़ितों का मेडिकल कराया गया। लेकिन थाने में महिलाओ के साथ जो मारपीट हुई उसकी मेडिकल जांच अभी तक नहीं की गई है। हम स्वागत करते है कि इस घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच के लिये एक जांच समिति का गठन किया गया। सरकार के द्वारा लिये गये इस निर्णय से यूनियन सन्तुष्ट है परन्तु इस जांच रिपोर्ट में ओर पारदर्शिता आये इसलिये हम चाहते है कि इस जांच समिति में यूनियन के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हों।
हमारा अनुरोध है कि उक्त जांच को और भी निष्पक्ष बनाने के लिए सामाजिक संगठन को शामिल किया जाए जिसमें हम डा0 तरूण जोशी और एडवोकेट अनीता पेगवाल का नाम प्रस्तावित करते है ।

डा0 तरूण जोशी का फोन न0 – 9412438714, ई मेल– vanpanchayat@rediffmail.com
एड0 अनीता पेगवाल – मो0 न0 9760248806, ई मेल – vangram@gmail.com

आशा है आप हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करेगें।
धन्यवाद,

(रोमा)
उपमहासचिव

(मुन्नीलाल)
संगठन सचिव